न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **84/2021**
GCMSNo.- : **202/203**

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. हिम्मताराम पुत्र लाबूराम जाति– सरगरा, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

प्रतिवादीगण:

1. उगमादेवी पुत्री भंवरलाल निवासी– देवरिया
2. कालूराम पुत्र भंवरलाल, जाति– सरगरा नाऔलाद फौत
3. चंचला देवी पुत्री भंवरलाल जाति– सरगरा, निवासी– हुनावास कलां
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र भंवरलाल
5. चम्पालाल पुत्र हजारीलाल
6. बाबूलाल पुत्र भीकाराम
7. श्यामलाल पुत्र मिश्रीलाल
8. शांतिदेवी पत्नी चम्पालाल
9. सुखलाल पुत्र घीसाराम जातिया– सरगरा, निवासीगण– जैतारण।
10. हापू पुत्र गोकल जाति– चौकीदार, निवासी– हुनावास कलां, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज)।
11. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.27/07/2021**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री अरूण सिंह राठौड़, श्रीमति शरीन नाजिक, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 29/10/2021

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53, 92ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरू[illegible]ीगण इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की [illegible] सुदा कृषि भूमि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू [illegible] निरीक्षक क्षेत्र जैतारण जिला पाली राज0 मे खसरा नम्बर 338 रकबा 3.[illegible]8 हैक्टर की भूमि आई हुई है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। वादी की उपरोक्त वर्णित आराजी मे 1/8 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा मौके पर वादी का 1/8 वे हिस्से पर कब्जा काश्त है। वादी अपने हक हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, परन्तु उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज है जिसका कानूनन बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रखा है परन्तु मौके पर सभी पक्षकारान् का अपना अपना हिस्सा अलग से बंटा हुआ है और सभी पक्षकारान् हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते है। परन्तु राजस्व रेकर्ड मे कानूनन बंटवाडा नही हो रखा है एवं उपरोक्त वर्णित आराजी सभी पक्षकारान् के सामलाती दर्ज है तथा वादी उपरोक्त वर्णित आराजी के 1/8 वे हक हिस्से का रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इसलिए अपने हक हिस्से की भूमि का कानूनन बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे शामलाती दर्ज होने एवं कानूनन बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही होने सेवादी को अनेको प्रकार की कठिनाईया का सामना करना पड़ रहा है। जिसमे वादी अपने हक हिस्से की भूमि मे बैंक से ऋण नही ले सकला है तथा अपने हक हिस्से की भूमि को खाद बीज डालकर उपजाउ नही कर सकता है तथा नही उसके चारो तरफ मेडबन्दी व तारबन्दी कर सकता है राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज होने से प्रत्येक खातेदार का मौके पर हक हिस्सा निश्चित नही है। इस प्रकार राजस्व रेकर्ड में सामलाती आराजी होने से वादी कानूनन बाई मिट्स् एण्ड के बंटवाडा करवाना चाहता है। इसलिए यह वादपत्र बंटवाडे का श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी का कानूनन बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस का बंटवाडा करवाने हेतू वादी ने दिनांक 16/07/2021 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये और उल्टा वादी को धमकी दी कि वह वादी के हक हिस्से की भूमि पर कब्जा कर लेगे, वादी को मौके से बेदखल कर देगे एवं उसे मौके पर काश्त नहीं करने देगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन गैरकानूनी मंसुबों मे कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी किसी कदर संभव नहीं हो पायेगी एवं वादी अपने साम्पतिक हक अधिकारी से महरुम हो जायेगा तथा मौके पर विवाद बढेगा, मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स बढेगी। जबकि वादी शांतिप्रिय व्यक्ति है एवं कानून में विश्वास करने वाला है इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 11 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाडे के वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादीगण संख्या राजस्थान सरकार के प्रतिनिधी होने से उन्हे दो माह का विधिक नोटिस दिया जाने का मेण्टेटरी प्रावधान है परन्तु वादपत्र अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादी का वादपत्र कर[illegible]सद ही विफल हो जायेगा इसलिए नोटिस देना डिस्पेन्सविथ [illegible] श्रीमान् के समक्ष पेश है वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति [illegible] धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। 6 यह है कि [illegible]बिनाय वाद दिनांक 16/07/2021 को वादी ने प्रतिवादीगण को बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के अनुसार बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार होने एवं वादी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे होने से यह वादपत्र श्रीमान् के समक्ष अन्दर मियाद पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 7, 9 व 10 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4, 6, 8, को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 5, 7, 9 व 10 को जवाब दावा पेश करनें के अनेकानेक अवसर देनें के बावजूद जवाब दावा पेश नहीं करनें से जवाब दावा बन्द किया गया। वकील वादी ने वादी का साक्ष्य शपथ पत्र P/W 01 पेश किया, प्रदर्श करवाये गये जो सा0मि0 है। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण सम्वत् 2077-2080 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 338 रकबा 3.1808 हैक्टर में वादी के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 338 रकबा 3.1808 हैक्टर किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/910 दिनांक 28/09/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/4437 दिनांक 21/10/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक [illegible] बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया [illegible] बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक [illegible] एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण जिला पाली राज0 में वादी

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 338 रकबा .808 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
हिम्मताराम पुत्र लाबूराम कौम सरगरा सा. देह खातेदार	338/1	0.3976	बा0 दो0	0.12
उगमादेवी पुत्री भंवरलाल हि. 795/27832, कालूराम पुत्र भंवरलाल हि. 795/27832 कौम सरगरा सा. देह, चंचलादेवी पुत्री भंवरलाल हि. 3976/27832 कौम सरगरा सा. हुनावास कलां, चन्द्रप्रकाश पुत्र भंवरलाल 795/27832, चम्पालाल पुत्र हजारीराम हि. 795/27832, बाबूलाल पुत्र घीसाराम हि. 1988/27832, श्यामलाल पुत्र मिश्रीलाल हि. 795/27832, शांतिदेवी पत्नी चम्पालाल हि. 3976/27832, सुखलाल पुत्र घीसाराम हि. 1988/27832, कौम सरगरा, हापूराम पुत्र गोकलराम हि. 11929/27832 कौम बावरी सा. हुनावास कलां खातेदार।	338 338/2	0.3976 2.3856	बा0 दो0 बा0 दो0	0.12 0.75

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/10/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

–: वादी :–

1. हिम्मताराम पुत्र लाबूराम जाति– सरगरा, निवासी– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. उगमादेवी पुत्री भंवरलाल निवासी– देवरिया
2. कालूराम पुत्र भंवरलाल, जाति– सरगरा नाऔलाद फौत
3. चंचला देवी पुत्री भंवरलाल जाति– सरगरा, निवासी– हुनावास कलां
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र भंवरलाल
5. चम्पालाल पुत्र हजारीलाल
6. बाबूलाल पुत्र भीकाराम
7. श्यामलाल पुत्र मिश्रीलाल
8. शांतिदेवी पत्नी चम्पालाल
9. सुखलाल पुत्र घीसाराम जातिया– सरगरा, निवासीगण– जैतारण।
10. हापू पुत्र गोकल जाति– चौकीदार, निवासी– हुनावास कलां, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज)।
11. तहसीलदार, जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज०।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 84/2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री अरूण सिंह राठौड़, श्रीमती शरीन नाजिन अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा जैतारण, पटवार हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण जिला पाली राज० [illegible] एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन [illegible] 1808 हैक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक [illegible] की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	हिम्मताराम पुत्र लाबूराम कौम सरगरा सा. देह खातेदार	338/1	0.3976	बा० दो०	0.12

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested

2	उगमादेवी पुत्री भंवरलाल हि. 795/27832, कालूराम पुत्र भंवरलाल हि. 795/27832 कौम सरगरा सा. देह, चंचलादेवी पुत्री भंवरलाल हि. 3976/27832 कौम सरगरा सा. हुनावास कलां, चन्द्रप्रकाश पुत्र भंवरलाल 795/27832, चम्पालाल पुत्र हजारीराम हि. 795/27832, बाबूलाल पुत्र घीसाराम हि. 1988/27832, श्यामलाल पुत्र मिश्रीलाल हि. 795/27832, शांतिदेवी पत्नी चम्पालाल हि. 3976/27832, सुखलाल पुत्र घीसाराम हि. 1988/27832, कौम सरगरा, हापूराम पुत्र गोकलराम हि. 11929/27832 कौम बावरी सा. हुनावास कलां खातेदार।	338	0.3976	बा० दो०	0.12
		338/2	2.3856	बा० दो०	0.75

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यावी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/10/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	06–00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	01 – 00
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बावत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः–	06–00	मिजान–	07–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे [illegible] दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 16:43:16 IST
Reason: SelfAttested